प्राचीन भारतीय न्याय–व्यवस्था

डॉ. अर्चना पाण्डेय

ऋग्वेद से लेकर जातक युग तक न्याय एवं दण्ड व्यवस्था राजा तक सीमित थी। राजा न्यायालयों में बैठकर साक्षी तथा धर्म के आधार पर मनुष्य को न्याय तथा दण्ड देता था। न्याय और धर्म एक दूसरे के पूरक माने जाते थे तथा धर्म को आधार मानकर ही न्याय दिया जाता था। महर्षि शुक्र के अनुसार राजा को नित्य धर्म की रक्षा के लिए दण्ड देना चाहिए क्योंकि दण्ड के भय से ही प्रजा अपने कार्यों में लिप्त रहती है। लोग किसी दुर्बल पर अत्याचार नहीं करते, असत्य का भाषण नहीं करते, दुष्ट दुष्टता छोड़ देते हैं, चुगलखोर जुबान बन्द कर देते हैं और आततायी डर जाते हैं।